

द्वितीय अध्याय

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे हैं, जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विशेष रूप से यथा उल्लेखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों की राशियों से की जाती है। इन लेखाओं में मूल बजट अनुमान अनुपूरक अनुदानों, समर्पण तथा पुनर्विनियोजन स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किये जाते हैं और ये लेखे बजट के प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत व्यय की तुलना में वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं और इसलिए यह वित्त लेखे के संपूरक हैं।

2.1.2 विनियोग की लेखापरीक्षा यह जाँच करने का प्रयास करती है कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किया गया जो विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार के अनुरूप है और जब भी व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित किया जाना चाहिए तब भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करती है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि संबंधित नियमों, विनियोगों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया

मध्य प्रदेश के बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के बजट प्राक्कलन प्रत्येक विभाग के प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त के पूर्व तैयार किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा प्रदाय प्रपत्र में बजट नियमावली के अनुच्छेद 61 के अनुसार वित्त विभाग को प्रत्येक वर्ष विधायिका के समक्ष आंकलित राजस्व एवं व्यय का विवरण तैयार कर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बजट नियमावली के अनुच्छेद 91 के अनुसार सभी अनुमानित बचतों को यदि उनका अनुमान किया गया हो तथा वे अन्य किसी ईकाई या ईकाइयों के आधिक्य को समाहित करने हेतु आवश्यक न हो, सरकार को तुरंत समर्पित कर देना चाहिए। आगे, बजट नियमावली के अनुच्छेद 116 के अनुसार प्रत्येक संवितरण अधिकारी उनके अधिपत्य में रखे आवंटन के लिए उत्तरदायी है वह विनियोजन की प्रत्येक इकाई में हुए व्यय की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखता है तथा उसके अधीनस्थ को पर्याप्त समय में अतिरिक्त व्यय की संभावना को समय पर नियंत्रण अधिकारी को सूचित कर अतिरिक्त निधि प्राप्त कर संभावित अतिरिक्त व्यय से बचता है।

हमने वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदानों में अत्यधिक बचत एवं आधिक्यों को देखा, जो बजट प्रबंधन में कमियों का दर्शाता है जिसे आगे की कड़िका में दर्शाया गया है।

2.3 विनियोग लेखे के सारांश

वर्ष 2014-15 के दौरान 74 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय के सारांश की स्थिति तालिका 2.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 2.1 मुल/अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश (₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मुल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान / विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/अधिक्य (+)	समर्पण की राशि	31 मार्च को किये गये समर्पण की राशि	31 मार्च को किये गये समर्पण की राशि का बचत राशि से प्रतिशत
दत्तमत	राजस्व	44,619.94	22,35.02	46,854.96	37,817.09	(-)9,037.87	7,031.00	6,996.81	77.42
	पूँजीगत	8,811.50	492.15	9,303.65	6,732.21	(-)2,571.44	1,795.93	1,795.93	69.84
	ऋण तथा अग्रिम	172.15	313.50	485.65	89.54	(-)396.11	293.48	293.48	74.09
कुल दत्तमत		53,603.59	3,040.67	56,644.26	44,638.84	(-)12,005.42	9,120.41	9,086.22	75.68
भारित	राजस्व	2,313.59	4.53	2,318.12	2,203.71	(-)114.41	110.96	110.96	96.98
	पूँजीगत	3.12	7.38	10.50	8.64	(-)1.86	0.46	0.46	24.73
	लोक ऋण पुनर्भुगतान	1,229.53	0.00	1,229.53	1,336.73	(+)107.20	0.05	0.05	..
कुल भारित		3,546.24	11.91	3,558.15	3,549.08	9.07	111.47	111.47	..
कुल योग		57,149.83	3,052.58	60,202.41	48,187.92	12,014.49	9,231.88	9,197.69	76.55

(स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15)

- अवधि 2014-15 के दौरान, राजस्व अनुभाग के अधीन 67 अनुदानों एवं 42 विनियोगों में ₹ 12,843.03 करोड़, पूँजीगत अनुभाग के अधीन 55 अनुदानों तथा छः विनियोगों एवं ऋण अनुभाग के अधीन दो अनुदानों तथा राजस्व अनुभाग के अधीन एक विनियोग में कुल ₹ 833.54 करोड़ के अधिक व्यय के प्रतिसंतुलन तथा पूँजीगत अनुभाग के तीन अनुदानों तथा ऋण अनुभाग के एक विनियोग (लोक ऋण) के कारण ₹ 12,014.49 करोड़ का कुल बचत हुआ।
- वर्ष के दौरान अनुपूरक प्रावधान ₹ 3,052.58 करोड़ था जो मुल प्रावधान का 5.34 प्रतिशत रहा।
- वास्तविक व्यय (₹ 48,187.92 करोड़), मुल बजट प्रावधान (₹ 57,149.83 करोड़) से भी कम होने के कारण, अनुपूरक प्रावधान (₹ 3,052.58 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुई। यह अवास्तविक बजट अनुमान एवं बजट नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।
- वर्ष 2014-15 के अंत में, ₹ 12,848.03 करोड़ के कुल बचत राशि में ₹ 9,231.88 करोड़ समर्पित किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 3,616.15 करोड़ (कुल बचत का 28.15 प्रतिशत) का कुल बचत संबंधित विभागों द्वारा समर्पित नहीं किया गया। आगे, ₹ 9,197.69 करोड़ मार्च 2015 के अंतिम दिवस पर समर्पित किया गया, फलस्वरूप इस राशि को अन्य विकासात्मक कार्यों में सदुपयोग करने की संभावना नहीं रही।
- राज्य शासन के मदवार व्यय की स्थिति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ द्वारा मासिक सिविल लेखा विवरण तथा मासिक विनियोग लेखा द्वारा मुहैया कराया गया था। इसके बावजूद शासन द्वारा अनुदान के अत्यधिक बचत एवं व्यय को कम करने हेतु कदम नहीं उठाया गया।

2.4 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन

2.4.1 विनियोग की तुलना में आबंटनीय प्राथमिकतायें

विनियोग लेखापरीक्षा का परिणाम यह दर्शाता है कि 44 प्रकरणों से संबंधित 34 अनुदानों एवं एक विनियोग के प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक एवं कुल प्रावधानों के

भी 20 प्रतिशत और इसके अधिक की सकल बचत ₹ 9,445.42 करोड़ है, जिसे परिशिष्ट 2.1 (अ) में दर्शाया गया है।

आगे, ₹ 12,848.03 करोड़ के कुल बचत के विरुद्ध 22 अनुदानों में ₹ 100 करोड़ या ज्यादा तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से ज्यादा, ₹ 10,695.90 करोड़ (कुल बचत का 83 प्रतिशत) का प्रभावी बचत हुआ, जैसा कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 100 करोड़ एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदानों की सूची (₹ करोड़ में)

सं. क्रं.	अनुदान क्रं.	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	वास्वविक व्यय	बचत	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
क-राजस्व दत्तमत						
1	08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	544.44	367.74	176.70	32.46
2	13	कृषि	1,964.69	1,760.42	204.27	10.40
3	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	344.32	231.98	112.34	32.63
4	19	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1,238.50	997.37	241.13	19.47
5	24	लोक निर्माण कार्य-सड़के तथा पुल	740.88	432.43	308.45	41.63
6	27	स्कूल शिक्षा	3,125.77	2,551.20	574.57	18.38
7	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	2,248.03	1,499.51	748.52	33.30
8	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2,174.70	1,509.14	665.56	30.60
9	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	8,304.36	5,910.66	2,393.70	28.82
10	44	उच्च शिक्षा	568.30	381.33	186.97	32.90
11	47	तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन विभाग	286.00	177.66	108.34	37.88
12	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	818.23	589.03	229.20	28.01
13	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	434.16	317.65	116.51	26.84
14	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	3,012.09	2,080.00	932.09	30.94
15	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	647.77	193.74	454.03	70.09
16	80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,721.86	3,200.78	521.08	14.00
17	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,478.36	1,221.35	257.01	17.38
18	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,148.84	1,784.67	364.17	16.95
योग			33,801.30	25,206.66	8,594.64	
ख-पूंजीगत दत्तमत						
19	12	उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	255.00	102.50	152.50	59.80
20	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	347.05	137.65	209.40	60.34

1	2	3	4	5	6	7
21	25	खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	265.81	38.03	227.78	85.69
22	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	763.55	560.05	203.50	26.65
23	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1,948.85	1,140.12	808.73	41.50
24	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	859.70	641.59	218.11	25.37
25	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	300.00	18.76	281.24	93.75
		योग	4,739.96	2,657.91	2,101.26	
		योग क+ख	38,541.26	27,864.57	10,695.90	

(स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15)

इसके अतिरिक्त, 13 अनुदानों के 31 उप-शीर्षो/योजनाओं के प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ और उससे अधिक की महत्वपूर्ण बचत पायी गयी। कारणों के साथ, बचत का विस्तृत विवरण वर्ष 2014-15 के विनियोग लेखे में प्रदर्शित की गयी है जो परिशिष्ट 2.1 (ब) में दिया गया है।

2.4.2 सतत् बचतें

अवधि 2010-11 से 2014-15 के दौरान 11 प्रकरणों (10 अनुदानों) में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की सतत् बचतें थी जैसा कि तालिका 2.3 में प्रदर्शित है। वर्ष 2014-15 के संबंधित अनुदानों में 7.34 और 41.50 प्रतिशत का कुल बचतें थी जो कि यह इंगित करती है कि बजट वास्तविक नहीं थी।

तालिका 2.3: अवधि 2010-15 के दौरान अनुदानों के अंतर्गत सतत् बचतों की सूची

(₹ करोड़ में)

सं. क.	अनुदान संख्या	अनुदानों का नाम	पिछले वर्षों की बचत				
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व दत्तमत							
1	10	वन	34.00 (6.16)	39.06 (6.19)	73.40 (10.93)	73.09 (9.98)	57.65 (7.34)
2	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	18.11 (7.02)	13.16 (4.19)	30.78 (10.26)	54.68 (16.89)	90.03 (19.21)
3	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	488.48 (17.14)	641.76 (20.31)	629.07 (17.03)	1,072.97 (22.82)	2,393.70 (28.82)
4	44	उच्च शिक्षा	34.35 (9.48)	139.25 (35.12)	146.54 (33.72)	140.49 (26.47)	186.97 (32.90)
5	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	204.61 (36.21)	141.60 (20.79)	156.44 (21.16)	115.87 (17.78)	229.20 (28.01)
6	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	192.49 (19.54)	397.67 (34.22)	284.43 (23.49)	398.96 (26.98)	932.09 (30.94)
7	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	48.81 (24.51)	60.89 (24.77)	56.11 (21.69)	84.63 (25.94)	68.11 (18.85)

1	2	3	4	5	6	7	8
पूँजीगत दत्तमत							
8	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	372.83 (30.35)	592.70 (40.33)	734.34 (37.91)	626.73 (31.00)	808.73 (41.50)
9	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पूल	115.70 (41.43)	232.71 (58.54)	234.80 (51.05)	185.03 (40.78)	81.59 (19.48)
10	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	57.55 (26.92)	263.74 (72.35)	149.14 (42.88)	124.31 (31.30)	56.81 (15.21)
11	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	38.92 (33.66)	57.10 (45.14)	74.24 (40.71)	67.02 (36.29)	46.83 (20.21)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्षों से अनुदानों की वास्तविक संख्या में सतत् बचत विनियोग अधिनियम में शासन द्वारा निधियों की आवश्यकता से अधिक मूल्यांकन का परिचायक है जो पिछले वर्षों में लेखाओं के ट्रेंड तथा व्यय के प्रवाह का सूक्ष्म परीक्षण किए बगैर किया गया।

इसे पूर्व में भी राज्य वित्त प्रतिवेदन में इंगित किया गया था परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

2.4.3 सतत् अतिरेक व्यय

अनुदान संख्या-06 के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान प्रावधान से अधिक सतत् व्यय पाया गया। अनुदानों के पाँच उप-शीर्षों/योजनाओं में प्रत्येक वर्ष में हुए अधिक व्यय को तालिका 2.4 में दिखाया गया है।

तालिका 2.4: सतत् अतिरेक

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	2012-13	2013-14	2014-15
2071-01-101-2413-सेवानिवृत्त वेतनभोगी व्यक्तियों का भुगतान	310.20	312.40	553.51
2071-102-3080-भारत में पेंशन के सारांशीकृत मूल्य का भुगतान	0.08	3.88	3.22
2071-105-2514-परिवार पेंशन	33.64	94.55	198.41
2071-106-600-उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों (भारत) को भुगतान	0.11	0.50	0.15
2071-111-400-विधायकों को पेंशन	2.15	0.66	3.82
2235-60-200-7000-पेंशन कल्याण निधि का आपूर्ति	2.01	2.06	4.43

(स्रोत: विनियोग लेखे 2012-15)

यह इंगित करता है कि विभाग कुशलतापूर्वक निधियों की आवश्यकता से अधिक मूल्यांकन करने में असफल रहा जिसके फलस्वरूप प्रावधान से अधिक व्यय हुआ।

2.4.4 योजनाओं के अंतर्गत व्यय का अतिरेक

19 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹ 7,640.95 करोड़ अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक प्रकरण में स्वीकृत प्रावधान से ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक व्यय हुआ जिसका विवरण परिशिष्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

2.4.5 योजनाओं के अंतर्गत अनुपयोगी प्रावधान

24 प्रकरणों में, 10 अनुदानों तथा एक विनियोजन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए किए गए कुल प्रावधानों का कुल ₹ 955.09 करोड़ अनुपयोगी रह गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है।

2.4.6 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

अनुदानों/विनियोगों के 50 प्रकरणों में, वर्ष के दौरान ₹ एक करोड़ या उससे अधिक के अनुपूरक प्रावधान में प्रत्येक प्रकरण में कुल ₹ 2,404.53 करोड़ प्राप्त किए गए मुल जो वास्तविक व्यय के रूप में पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुए जैसा कि वास्तविक व्यय मुल प्रावधान से कम थे। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.4 में दिखाया गया है। छः प्रकरणों के अतिरिक्त, ₹ 355.12 करोड़ के अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध, ₹ 509.84 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अधिक था। प्रत्येक प्रकरण में शेष बचतें जो ₹ एक करोड़ से ज्यादा थी, कुल ₹ 154.72 करोड़, परिशिष्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

यह इंगित करता है कि बी.सी.ओ. ने वित्तीय वर्षों की शेष अवधि की निधियों की वास्तविक आवश्यकता का उचित ढंग से मूल्यांकन नहीं किया था तथा बजट नियमावली में वर्जित मासिक व्यय नियंत्रण तंत्र के जरिए व्यय के प्रवाह की निगरानी नहीं किया।

2.4.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन निधियों का अनुदानों की विनियोग की एक इकाई से स्थानान्तरण है जहाँ बचत का पूर्वानुमान किया जाता है तथा अतिरिक्त निधियों को उस इकाईयों में भेजा जाता है जहाँ इसकी आवश्यकता होती है।

हमने पाया कि पुनर्विनियोजन के पश्चात 12 अनुदानों और 1 विनियोग के अंतर्गत 33 योजनाओं में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक की अतिरेक/बचत हुई (परिशिष्ट 2.6)। यह इंगित करता है कि प्राक्कलनों का आंकलन उचित ढंग से नहीं किया गया, यहाँ तक कि पुनर्विनियोजन के जरिए निधियों की निकासी/वृद्धि के पश्चात भी इसे उचित प्रकार से नहीं किया गया जहाँ अनुदानों में अंतिम बचत/अतिरेक हुई।

2.4.8 वास्तविक बचत के समर्पण की अधिकता

14 प्रकरणों में, (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख और अधिक) वास्तविक बचत में अधिक राशियों का समर्पण, इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है। कुल ₹ 2,104.88 करोड़ की बचत के विरुद्ध ₹ 2,254.96 करोड़ समर्पित किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 150.08 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.7 में दिया गया है। संबंधित विभागों ने वर्ष 2014-15 के विनियोग लेखे के अंतिम रूप देने तक समर्पणों का कारण/व्याख्या प्रस्तुत नहीं किया।

2.4.9 पूर्वानुमानित बचत का समर्पण नहीं किया जाना

मध्यप्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 131 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा व्यय का पूर्वानुमाति बचत का विवरण वित्त विभाग को 15 वीं जनवरी तक प्रस्तुत कर देना चाहिए।

नौ अनुदानों के अंतर्गत 11 प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक बचत हुआ परन्तु संबंधित विभागों द्वारा उसका कोई भी भाग समर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में कुल राशि ₹ 1,796.82 करोड़ (कुल बचत ₹ 12,848.03 करोड़ का 13.99 प्रतिशत) शामिल था, जैसा कि परिशिष्ट 2.8 में विस्तृत दिया गया है।

उसी तरह, 20 अनुदानों तथा एक विनियोग (प्रत्येक अनुदान में बचत ₹ एक करोड़ और उससे अधिक, समर्पण के पश्चात) में कुल प्रावधान राशि ₹ 6,832.50 करोड़ की बचत में

से राशि ₹ 2,103.52 करोड़ (उपरोक्त वर्णित बचत का 30.79 प्रतिशत) को समर्पित नहीं किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.9** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, 60 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों का समर्पण) मार्च 2015 के अंतिम दिवस को ₹ 9,031.83 करोड़ समर्पित किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.10** में विस्तृत विवरण दिया गया है। यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण और निधियों को रोकने का सूचक है जिसके कारण अन्य विभागीय उद्देश्यों के लिए निधियों की अनुपलब्धता हो जाती है। विभागों ने विनियोग लेखे वर्ष 2014-15 (जुलाई 2015) को अंतिम रूप देने तक वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को बचत को समर्पित करने के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

2.4.10 अविवेकपूर्ण समर्पण

दो अनुदानों (अनुदान संख्या 06 तथा 33), के कुल प्रावधान राशि ₹ 4,021.78 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 4,739.66 करोड़ व्यय हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 717.88 करोड़ अधिक व्यय हुआ। इसके बावजूद, इन अनुदानों के अंतर्गत राशि ₹ 54.28 करोड़ का समर्पण किया गया जो कि अविवेकपूर्ण था। विस्तृत विवरण **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.5 अविवेकपूर्ण समर्पण

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान सं.	अनुदान के नाम	कुल प्रावधान	व्यय	अधिक व्यय	समर्पित राशि
राजस्व दत्तमत						
1	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2,632.72	3,313.08	680.36	45.08
2	33	आदिम जाति कल्याण	1,389.06	1,426.58	37.52	9.20
योग			4,021.78	4,739.66	717.88	54.28

(स्रोत: विनियोग लेखें 2014-15)

2.4.11 2014-15 के अवधि के दौरान प्रावधान से अतिरेक को नियमित करने को आवश्यकता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य विधानमंडल द्वारा अनुदान/विनियोग से अधिक को राज्य सरकार को प्राप्त करना अनिवार्य है। **तालिका 2.6** में वर्ष 2014-15 के दौरान चार अनुदानों और दो विनियोगों के निधि को सात खंडों में प्रावधान से अधिक व्यय राशि ₹ 833.54 करोड़ का राशीकृत विवरण दिया गया है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमित किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका 2.6: 2014-15 के दौरान प्रावधान से अधिक के नियमित करने की जरूरत

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान/विभाग के नाम	अनुदान/विभाग के नाम	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय कि नियमितीकरण की आवश्यकता
1	2	3	4	5	6
राजस्व दत्तमत					
1	06	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	2,632.72	3,313.08	680.36
2	33	आदिम जाति कल्याण	1,389.06	1,426.58	37.52
राजस्व भारित					
3	06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.16	0.30	0.14
पूँजीगत दत्तमत					
4	06	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	0.10	1.22	1.12

1	2	3	4	5	6
5	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13.28	20.00	6.72
6	80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से वित्तीय सहायता	208.00	208.48	0.48
पूँजीगत भारत					
7		लोक ऋण	1,229.53	1,336.73	107.20
योग			4,528.32	5,361.90	833.54

(स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15)

2.4.12 अवधि 2000-01 से 2013-14 तक अतिरेक

अवधि 2000-01 से 2013-14 के व्यय राशि ₹ 2,313.39 करोड़ को अभी तक नियंत्रित करना था जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.11 में दिया गया है। वर्षों से अनुदानों/विनियोग से अधिक का अनियंत्रितकरण विनियोग पर विधानमंडल की कार्यशैली का उल्लंघन है।

2.4.13 व्यय का प्रवाह/अतिवेग

मध्य प्रदेश बजट नियमावली (छ.ग. शासन के द्वारा अनुसरित) की कंडिका 92 के अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के प्रवाह से बचना चाहिए। व्यय का समरूप प्रवाह को बजटीय नियंत्रण की मूलभूत आवश्यकता को कायम करने को सुनिश्चित करना है। इसके विपरीत, 31 मुख्य शीर्षों में, अंतिम तिमाही के दौरान (₹ 2,813.72 करोड़) व्यय हुआ जो कुल व्यय (₹ 4,177.41 करोड़) से 67 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें कुल 16 प्रकरण है जहाँ वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में व्यय (₹ 1,342.19 करोड़) हुआ जो वर्ष 2014-15 के दौरान कुल व्यय (₹ 1,985.50 करोड़) का 67 प्रतिशत है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.12 में दिया गया है।

2.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

राज्य के छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि नियमावली, 2001 के अनुसार, आकस्मिक निधि से कोई भी अग्रिम नहीं लिया जाएगा, सिवाय निधि द्वारा विनियोग के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा लंबित अप्रत्याशित व्यय के /निधि का संचालन ₹ 40 करोड़ के संग्रह सीमा के साथ अग्रधन की प्रकृति के अनुरूप किया जाना जाए। उदाहरण के लिए, जैसा कि अधिनियम में उल्लेखित प्रक्रिया अनुरूप/आकस्मिकता निधि से राशि ₹ 20.97 करोड़ की निधि की निकासी का विस्तृत विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7 राज्य के आकस्मिकता निधि से व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम के व्यय की प्रवृत्ति	निकासी का माह	अग्रिम की राशि
1	निधि तथा विधायी कार्य	छत्तीसगढ़ राज्य विधिक आयोग का स्थापना व्यय	मार्च 2014	0.25
2	वन विभाग	लघु वन उत्पाद का क्रय	मई 2014	13.22
3	वित्त विभाग	ई-कोष परियोजना के सॉफ्टवेयर तथा उपकरण का उन्नयन	जून 2014	1.89
4	सामान्य प्रशासन	यू.एस.ए. में मुख्यमंत्री की पत्नी के इलाज का चिकित्सीय अग्रिम	अगस्त 2014	4.76
5	लोक निर्माण	वेतन का भुगतान	नवंबर 2014	0.75
6	तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	परिवहन भत्ता का भुगतान	जनवरी 2015	0.10
योग				20.97

उपरोक्त वर्णित व्यय से विदित है कि आकस्मिकता निधि से व्यय मापदंड पर सही नहीं हुए क्योंकि ये व्यय न तो अप्रत्याशित थे और न ही आकस्मिकता प्रकृति के थे। अतएव, ये व्यय राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक स्थगित किया जाना चाहिए था।

2.6 अनुदान संख्या 06-वित्त विभाग की समीक्षा

वित्त विभाग (अनुदान संख्या-06) के बजट प्रस्तावों, वास्तविक व्यय और निधि प्रबंधन की समीक्षा जैसा कि वित्त विभाग में नमूना जाँच (सितंबर 2015) और विनियोग लेखे में प्रतिवेदित है, कि निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी।

वित्त विभाग आगामी वित्तीय वर्ष की निधियों की आवश्यकता से आँकड़े के संबंध में और आवश्यक आँकड़े को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित विभागों को प्रत्येक वर्ष निर्देश जारी करता है। विभागों के प्रमुख तथा अन्य नियंत्रक अधिकारी वित्त विभाग से जारी निर्देशों के अनुसार लेखा के प्रत्येक शीर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करते हैं और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए वित्त विभाग को अग्रेषित कर देते हैं। विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट प्राक्कलनों के आधार पर, वित्त विभाग राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करती है।

2.6.1 सारांशीकृत स्थिति

बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदान संख्या-06 के अंतर्गत आधिक्य/बचत की संपूर्ण स्थिति तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: अनुदान संख्या 06 का बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)

विभाग	बजट प्रावधान			वास्तविक व्यय	समर्पण	बचत (-) /आधिक्य (+)
	मूल्य बजट	अनुपूरक बजट	योग			
राजस्व	2602.49	30.39	2632.88	3313.38	680.50	45.08
पूंजीगत	0.10	.	0.10	1.22	1.12	-
कुल	2602.59	30.39	2632.98	3314.60	681.62	45.08

(स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि ₹ 2632.98 करोड़ व्यय के कुल बजट प्रावधान की विरुद्ध में ₹ 3314.60 करोड़ व्यय हुआ जिसके फलस्वरूप वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 681.62 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ जिसके पश्चात राशि ₹ 45.08 करोड़ का समर्पण किया गया।

2.6.2 बजट प्राक्कलन से आधिक्य व्यय

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (छ.ग. शासन द्वारा अनुसरण किया गया) की कंडिका 91 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह उसके नियंत्रण के अधीन लोक सेवाओं पर हुए व्यय में वृद्धि पर निगरानी के साथ व्यय को स्वीकृत आबंटन के अधीन रखें।

वर्ष 2014-15 के दौरान, वित्त विभाग ने कुल बजट प्रावधान ₹ 1869.57 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2634.44 करोड़ व्यय किया जिसके फलस्वरूप व्यय में ₹ 764.87 करोड़ की वृद्धि हुई जैसा कि तालिका 2.9 में विस्तृत है।

तालिका 2.9: प्रावधान से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान संख्या	लेखाओं के शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल प्रावधान	व्यय	अधिक्य व्यय
1	06	2071-01-101-2413-सेवानिवृत्त वेतनभोगी व्यक्तियों को भुगतान	1450.00	2003.51	553.51
2		2071-01-102-3080-भारत में पेंशनों के लघुकृत मूल्य का भुगतान	2.58	5.79	3.21
3		2071-01-103-8084- अनुकंपा भत्ता	0.02	0.11	0.09
4		2071-01-105-2514- परिवार पेंशन	410.56	608.97	198.41
5		2071-01-106-600- उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीशों को देय भारित	0.15	0.30	0.15
6		2071-01-111-4010- विधायकों को पेंशन	5.00	8.82	3.82
7		2235-60-200-7000- पेंशन कल्याण निधि को आपूर्ति		4.43	4.43
8		7810-122-5675- म.प्र. और छ.ग. के बीच अंतर्राज्यीय समायोजन	0.10	1.22	1.12
9		2047-103-9120- निदेशन	0.58	0.70	0.12
10		2052-091-4296- संस्थागत प्रबंधन के निदेशक	0.58	0.59	0.01
योग			1869.57	2634.44	764.87

(स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15)

इसे इंगित किये जाने पर, वित्त विभाग द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया।

2.6.3 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

अनुपूरक अनुदान अधिक व्यय को समाविष्ट करने के लिए प्राप्त किया जाता है जोकि वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोजन की मध्यावधि समीक्षा के बाद पूर्वानुमान के आधार पर तैयार किया जाता है।

अनुदान संख्या- 06 (वित्त विभाग) के निम्नलिखित अंतर्गत लेखाओं में वर्ष के दौरान तीन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसा कि विभाग मूल बजट प्रावधान को भी व्यय नहीं कर सका। अनावश्यक बजट प्रावधान का विवरण तालिका 2.10 में दिया गया है।

तालिका- 2.10: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

लेखाओं का शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	बजट प्रावधान	व्यय	कुल बचत
2052-091-4295 वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के संचालनालय	3.12	0.01	3.13	0.48	2.65
2052-091-4296- संस्थागत वित्तीय प्रबंधन के निदेशक	0.81	0.07	0.88	0.60	0.28
2054-097-1026- कोषालय स्थापना	26.10	6.31	32.41	25.64	6.77

(स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15)

इंगित किए जाने पर अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान का कोई विशेष कारण प्रस्तुत नहीं किया गया (अक्टूबर 2015)।

2.6.4 अनुपयुक्त पुनर्विनियोजन/समर्पण के फलस्वरूप व्यय का अधिक/बचत होना

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई के अंतर्गत निधि का स्थानान्तरण है जहाँ बचत का पूर्वानुमान कर उसे उस इकाई में स्थानान्तरित किया जाता है जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होती है।

अनुदान संख्या-06 के अंतर्गत निम्नलिखित निधियों के पुनर्विनियोजन उपशीर्ष/योजना के अंतिम आधिक्य/बचत के परिपेक्ष्य में अविवेकपूर्ण/अपर्याप्त सिद्ध हुआ जैसा कि तालिका 2.11 में दिया गया है।

तालिका 2.11 निधियों का असंगत/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

लेखाओं का शीर्ष	बजट प्रावधान				व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन /समर्पण	कुल प्रावधान		
आधिक्य						
2047-103-9120 - निदेशन	1.10	-	-0.52	0.58	0.70	0.12
2052-091-4296 प्रशिक्षण वित्तीय प्रबंधन के निदेशक	0.81	0.07	-0.29	0.59	0.60	0.01
2235-60-200-7000 पेंशन कल्याण निधि की आपूर्ति	0.20	-	-0.20	0.00	4.43	4.43
अपर्याप्त						
2052-091-1201-6725 यूरोपियन कमीशन राज्य सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान सहायता	0.21	-	-0.14	0.07	0.06	-0.01
2054-095-2274 निदेशन और प्रशासन	12.40	-	-1.67	10.73	10.66	-0.07
2054-095-4307 संभागीय स्थापना	5.52	-	-1.42	4.10	4.08	-0.02
2054-095-8904 लेखापरीक्षा सेल का निर्माण	2.12	-	-1.88	0.24	0.23	-0.01
2054-097-1026 कोषालय स्थापना	26.10	6.31	-6.76	25.65	25.64	-0.01
2054-098-4361 स्थानीय निधि लेखे	19.49	-	-8.38	11.11	11.08	-0.03

(स्रोत: विनियोग लेखे 2014.15)

इंगित किए जाने पर आधिक्य/बचत से संबंधित कारणों का वित्त विभाग द्वारा सूचना नहीं दी गई (अक्टूबर 2015)।

2.6.5 पुनर्विनियोजन/समर्पण प्रस्ताव भेजने में विलंब

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरित) के परिशिष्ट-II के अनुसार पुनर्विनियोजन/समर्पण प्रस्ताव वित्त विभाग को संबंधित वित्तीय वर्ष के 15 मार्च के बाद नहीं भेजना चाहिए।

वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 45.08 करोड़ की राशि 31 मार्च 2015 तक नियमावली के प्रावधानों को उल्लंघित कर समर्पित किए गए।

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस तक बजट के समर्पण, अन्य किसी अनुदान/विनियोग के अंतर्गत सदुपयोग का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा।

2.6.6 अंतिम तिमाही में व्यय की अधिकता

बजट नियमावली की कंडिका 92 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के विशेष कर अंतिम माह में व्यय की अधिकता से बचना चाहिए।

हमने पाया कि वर्ष 2014-15 के अंतिम तिमाही के दौरान अनुदान संख्या-06 के अंतर्गत चार योजनाओं में मार्च के महीने के अंतिम तिमाही में कुल व्यय में 61 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, यह 21 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक के कुल व्यय को दर्शाता है। अनुदान संख्या-06 व्यय में हुई बढ़ोतरी का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.13** में दिया गया है।

तथ्य को वित्त विभाग के ध्यान में लाया गया है, फिर भी उत्तर अभी तक अपेक्षित है।

2.6.7 पुनर्विनियोजन समर्पण के तरीके से संपूर्ण प्रावधानों का प्रत्याहरण/धन आहरण

बजट प्राक्कलन जितना संभव हो सके उतना सही होना चाहिए और प्रत्येक मद से संबंधित प्रावधान इस बात पर आधारित हो कि वर्ष के दौरान कितना व्यय हुआ अथवा कितना भुगतान होने की प्रत्याशा है।

वित्त विभाग ने वर्ष 2014-15 में योजना/उप-शीर्ष-2054-098-1201-6725- यूरोपीय आयोग राज्य सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान सहायता के रूप में ₹ 0.19 करोड़ का प्रावधान किया। सम्पूर्ण प्रावधान पुनर्विनियोजन/समर्पण के तरीके से अंतिम दिवस यानि की 31 मार्च 2015 को धन निकासी की गई। यह इंगित किया कि मुख्य नियंत्रक अधिकारियों में बजट तैयार किया तथा व्यय को विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/उद्देश्यों में आवंटन किया तथा बजट नियमावली में निर्दिष्ट प्रावधानों में उल्लेखित आवश्यक पर्याप्त कर्मठता के बिना कार्य किया।

तथ्य को वित्त विभाग के ध्यान में लाया गया तथापि उत्तर अभी तक अपेक्षित है (अक्टूबर 2015)।

2.6.8 सतत् बचत

अनुदान संख्या 06 के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित पाँच उप-शीर्षों/योजनाओं में समीक्षा किए गए सतत् बचतें **तालिका 2.13** में दर्शाया गया है—

तालिका 2.13: सतत् बचतें

(₹ करोड़ में)

लेखाओं का शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15
2054-095-2274- निदेशन और प्रशासन	3.58	0.03	0.07
2054-097-1026- कोषालय स्थापना	4.84	0.23	0.01
2054-098-4361- स्थानीय निधि लेखे	6.25	0.16	0.03
2071-104-4590- सेवा तथा मूल्य सह-सेवानिवृत्ति उपदान	77.06	101.01	8.64
2071-115-5438- अवकाश नगदीकरण	67.27	86.71	29.39

(स्रोत: विनियोग लेखे 2012-15)

सतत् बचत की पुनरावृत्ति विभाग में मौजूद बजटिंग का नियंत्रण में कमी को दर्शाता है। तथ्य वित्त विभाग के ध्यान में लाया गया, हालाँकि उत्तर अभी तक अपेक्षित है (अक्टूबर-2015)।

2.7 अनुदान संख्या – 33 – आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा

आदिम जाति कल्याण विभाग (अनुदान संख्या-33) के संबंध में बजट प्रस्ताव की समीक्षा, वास्तविक व्यय और निधि व्यय जैसा की विनियोग लेखों का वर्णन किया गया है, में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गई:-

2.7.1 बजट और व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदान के अंतर्गत बजट प्रस्ताव, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य का संपूर्ण स्थिति का विवरण तालिका 2.14 में दिया गया है।

तालिका 2.14: अनुदान संख्या 33 का बजट और व्यय

भाग	बजट प्रावधान			वास्तविक व्यय	समर्पण	बचत(-)/ आधिक्य (+)
	मूल	अनुपूरक	व्यय			
राजस्व	1,386.00	3.06	1,389.06	1,426.58	9.20	37.52
पूँजी	00.05	.	00.05	00.05	.	00
कुल योग	1,386.05	3.06	1,389.11	1,426.63	9.20	37.52

(स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि कुल प्रावधान ₹ 1,389.11 करोड़ के व्यय के विरुद्ध ₹ 1,426.63 करोड़ का व्यय किया गया जो वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 9.20 करोड़ समर्पित करने के बावजूद ₹ 37.52 करोड़ के अधिक व्यय हुआ।

2.7.2 उपशीर्ष के अंतर्गत वास्तविक बचत

बजट प्राक्कलन अधिक सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि बजट प्राक्कलन न ही बढ़े तथा न ही आवश्यकता से घटे।

विनियोग लेखों की जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि अनुदान संख्या-33 के अंतर्गत, राजस्व भाग में चार योजनाओं के प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से ज्यादा की वास्तविक बचत हुई जिसका विस्तृत विवरण तालिका 2.15 में दिया गया है।

तालिका 2.15: ₹ एक करोड़ से अधिक का योजनावार बचत

क्र. स.	योजना का नाम	कुल अनुदान	व्यय	बचत
1	2202-01-001-2721 प्रशासनिक खंड विकास स्तर का शक्तिवर्धन	26.50	25.47	1.03
2	2202-01-101-2772 प्राथमिक विद्यालय	348.74	346.68	2.06
3	2202-01-101-495 आश्रम और विद्यालय	69.96	59.70	10.26
4	2202-02-109-1395 हॉस्टल	88.34	75.22	13.12

(स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15)

वास्तविक बचत यह इंगित किया कि व्यय प्राक्कलन के अनुसार नहीं किए गए तथा जो बजट प्राक्कलन तथा व्यय में नियंत्रण की कमी थी।

2.7.3 निधियों का पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन विनियोजन की एक इकाई से अनुदान के अंतर्गत निधियों का स्थानांतरण है जहाँ बचत का दूसरे इकाई का पूर्वानुमान किया जाता है, जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है।

विनियोग लेखों की जाँच से यह स्पष्ट हुआ की छः प्रकरणों में पुनर्विनियोजन के पश्चात बजट प्रावधान आवश्यकता से अधिक सिद्ध हुए जो इंगित करते हैं कि मूल्यांकन वास्तविक रूप से नहीं किए गए। उसी तरह दो उप-शीर्षों में (2202-02-109-1395- हॉस्टल तथा 2202-01-101-495 आश्रम और विद्यालय) में अनुपूरक प्रावधान की पुनर्विनियोजन के जरिए की आवश्यकता नहीं थी चूँकि व्यय मुल प्रावधान से कम था जैसा कि तालिका 2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.16 पुनर्विनियोजन के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क. स.	लेखाओं का शीर्ष	मूल प्रावधान + अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
1	2202-01-001-2721 प्रशासनिक खंड विकास स्तर का शक्तिवर्धन	28.62	(-) 2.12	26.50	25.47	(-) 1.03
2	2202-01-101-2772 प्राथमिक विद्यालय	355.00	(-) 6.26	348.74	346.68	(-) 2.06
3	2202-02-109-1395 छात्रावास	85.47	(+) 2.86	88.34	75.22	(-) 13.12
4	2202-01-101-495 आश्रम और विद्यालय	65.31	(+) 4.66	69.97	59.70	(-) 10.27
5	2202-02-109-363 आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर	7.36	(-) 0.10	7.26	6.48	(-) 0.78
6	2202-02-109-761 बालिका विद्यालय कैम्पस	6.40	(-) 0.41	5.99	5.83	(-) 0.16
7	2202-02-109-979 खेल-कूद कॉम्प्लेक्स	9.82	(-) 0.73	9.09	8.21	(-) 0.88
8	2225-02-001-6130 निदेशालय	12.95	(-) 4.11	8.84	8.64	(-) 0.20

(स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15)

यह इंगित करता है कि पुनर्विनियोजन के जरिए निधियों को निकासी/वृद्धि के बाद भी जो कि इन योजनाओं का अंतिम बचत या, प्राक्कलनों का मूल्यांकन उचित तरह से नहीं किया गया।

तथ्य को आदिम जाति कल्याण विभाग के ध्यान में लाया गया फिर भी उत्तर अभी तक अप्राप्त है।

2.7.4 बजट प्रावधान से अधिक व्यय

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (छ.ग. शासन द्वारा अनुसरित) की कंडिका 91 के अनुसार, नियंत्रक अधिकारी अपने अधीन लोक सेवाओं पर हो रहे व्यय की वृद्धि और स्वीकृत आवंटन के अंदर व्यय को रखने के लिए जिम्मेदार है।

अनुदान संख्या 33 के 10 उप-शीर्षों के अंतर्गत बजट प्रावधान ₹ 785.14 करोड़ के विरुद्ध ₹ 860.36 करोड़ का कुल व्यय हुआ जिसके फलस्वरूप व्यय में ₹ 75.22 करोड़ की अधिक वृद्धि हुई जिसका विस्तृत विवरण तालिका 2.17 में दिया गया है।

तालिका 2.17: बजट प्रावधान से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	लेखाओं का शीर्ष/नामावली	कुल प्रावधान	व्यय	अधिक व्यय
1	2202-02-109-1117 गुरुकुल विद्यालय	1.68	1.69	0.01
2	2202-02-109-3492 माध्यमिक विद्यालय	548.00	581.39	33.39
3	2202-02-109-583 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	157.24	196.10	38.86
4	2202-02-109-7592 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हॉस्टल	3.06	3.68	0.62
5	2202-02-110-307 अशासकीय उच्चतर विद्यालय की सहायता	28.07	28.71	0.64
6	2225-02-001-1483 जिला प्रशासन	30.64	31.40	0.76
7	2225-02-001-334 आदिम जाति अनुसंधान संस्थान	1.91	1.98	0.07
8	2225-101-5495 मुख्य कार्यपालन अधिकारी का वेतन	14.00	14.86	0.86
9	2225-02-102-2744 उत्पादन केन्द्र सह प्रशिक्षण	0.50	0.51	0.01
10	2225-02-102-7299 आदिम जाति सहायता-कोष	0.037	0.038	0.001
योग		785.14	860.36	75.22

(स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15)

वर्ष के दौरान निधि के प्रावधान से अधिक व्यय अवास्तविक बजटीय अनुमान तथा कमजोर नियंत्रण पद्धति का सूचक था।

तथ्य को आदिम जाति विभाग के ध्यान में लाया गया हांलाकि उत्तर अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

2.7.5 प्रावधान से अधिक सतत् व्यय

वर्ष 2012-15 में एक योजना के दौरान माँगी गयी अनुपूरक का बजट में प्रावधान होने के बावजूद लगातार बजट प्रावधान से अधिक राशि निकाली गई जिसका विवरण तालिका 2.18 में दिया गया है।

तालिका 2.18: प्रावधान से अधिक सतत् व्यय

(₹ करोड़ में)

योजनाओं का नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	अतिरेक
2225-02-0701-334 आदिम जाति अनुसंधान संस्थान	2012-13	0.48	0.99	0.51
	2013-14	1.32	1.37	0.05
	2014-15	1.91	1.98	0.07

(स्रोत: विनियोग लेखा 2012-15)

सतत् अधिनियम निधि की आवश्यकता के मूल्यांकन पर विभागीय असफलता का सूचक है।

तथ्य को आदिम जाति कल्याण विभाग के ध्यान में लाया जाता है तथापि उत्तर भी अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

2.7.6 व्यय का अतिवेग

छत्तीसगढ़ बजट नियमावली की कंडिका 92 के अनुसार वैसे अनुदान जिसका लाभकारी रूप से सदुपयोग नहीं किया जा सकता उसे समर्पित कर देना चाहिए। व्यय के अतिवेग, खासकर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में से बचना चाहिए। हांलाकि यह देखा गया कि

विभागों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। व्यय का वस्तु-शीर्ष वार विस्तृत विवरण जहाँ वर्ष 2014-15 के दौरान अंतिम तिमाही के दौरान और मार्च माह में व्यय का प्रतिशत प्रत्येक प्रकरण में 50 प्रतिशत और ज्यादा है, का विस्तृत तालिका 2.19 में दिया गया है।

तालिका 2.15: व्यय का अतिवेग

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखा का शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च माह के दौरान व्यय	
			राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2202-02-109-2675 मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	29.00	15.00	51.72	15.00	51.72
2	2202-02-109-7592 फूड सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावास को भोजन	3.68	3.68	100.00	3.68	100.00
3	2225-02-001-7299 आदिम जाति सहायता योजना	0.038	0.026	68.42	0.021	55.26

(स्रोत: विनियोग लेखा 2014-15)

वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में व्यय का एकीकरण बुद्धिमत्तापूर्ण वित्तीय प्रबंधन नीति नहीं है और यह व्यय पर नियंत्रण पर नियमावली के प्रावधान के विपरीत है। तथ्य को आदिम जाति कल्याण विभाग के ध्यान में लाया जाता है फिर भी, उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर 2015)।

2.8 अनुदान संख्या 39 – खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा

बजट प्रस्ताव की समीक्षा, वास्तविक व्यय तथा निधि प्रबंधन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग (अनुदान संख्या-39) के परिपेक्ष्य में जैसा कि विनियोग लेखे में प्रतिवेदित किया गया है, निम्नलिखित अनियमिताएँ दर्शाती हैं—

2.8.1 बजट और व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत/अतिरेक की सम्पूर्ण स्थिति का विवरण तालिका 2.20 में दिया गया है।

तालिका 2.20: सारांशिकृत विनियोजन

(₹ करोड़ में)

भाग	बजट प्रावधान			वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
	मूल	अनुपूरक	कुल योग		
राजस्व	2,173.50	1.20	2,174.70	1,509.14	(-) 665.56
पूंजी	31.40	25.00	56.40	10.09	(-)46.31
कुल योग	2,204.90	26.20	2,231.10	1,519.23	(-)711.87

(स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 2,231.10 करोड़ की तुलना में ₹ 1,519.23 करोड़ व्यय हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 711.87 की कुल बचत हुई।

2.8.2 उप-शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक बचत

बजट प्राक्कलन को बड़ी सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि बजट प्राक्कलन न ही बढ़े और न ही घटे।

विनियोग लेखों की जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि अनुदान संख्या 39 के अंतर्गत, राजस्व विभाग में प्रत्येक प्रकरणों में ₹ एक करोड़ से अधिक वास्तविक बचत हुआ तथा कुल ₹ 664.69 करोड़ (कुल बजट प्रावधान ₹ 2,174.70 करोड़ का 30.56 प्रतिशत) मुख्यतः 11 योजनाओं में हुआ। पूँजीगत अनुभाग में दो योजनाओं के अंतर्गत ₹ 45.47 करोड़ (₹ 56.40 करोड़ का कुल बजट प्रावधान के 80.62 प्रतिशत) का वास्तविक बचत (₹ एक करोड़ तथा अधिक) हुआ। विस्तृत विवरण तालिका 2.21 में दिया गया है।

तालिका 2.21: 2014-15 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक बचत
2014-15

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	कुल अनुदान	व्यय	बचत
राजस्व विभाग				
1	2408-01-001-1471-जिला कार्यालय	14.56	13.22	1.34
2	2408-01-001-629- उपभोक्ता संरक्षण सेल	11.28	7.02	4.26
3	2408-01-003-8919-लोक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	1.62	-	1.62
4	2408-01-102-3229 भोजन उपलब्धि के कमी में नागरिक आपूर्ति निगम को अनुदान	2.00	-	2.00
5	2408-01-102-6964 लोक वितरण प्रणाली के शक्तिवर्धन को सहायता	1.76	0.06	1.70
6	2408-01-102-0101-राज्य आयोजना योजना (सामान्य)-5591 -अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्र को प्रेरणादायक सहायता	23.85	16.94	6.91
7	2408-01-102-0101-राज्य आयोजना योजना (सामान्य)-5591-मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना	10.00	0.13	9.87
8	2408-01-102-0101 राज्य आयोजना योजना (सामान्य) -6839 मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना	1,500.00	901.10	598.90
9	2408-01-102-0101 राज्य आयोजना योजना (सामान्य) 8673 कोर पीडी-एस मेरी मर्जी योजना	1.75	-	1.75
10	2408-01-102-0101 राज्य आयोजना योजना (सामान्य)-9993- रियायत दर पर आयोडीन-युक्त नमक के वितरण पर अनुदान	48.60	33.20	15.40
11	2408-01-102-0101 राज्य आयोजना योजना (सामान्य) 8999-मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना कुल (राजस्व भाग)	125.00	104.06	20.94
कुल योग (राजस्व भाग)		1,740.42	1,075.73	664.69
पूँजीगत भाग				
12	4408-02-195-0101 राज्य आयोजना योजना (सामान्य) 7478-शहरी क्षेत्र में गोदाम-सह-दुकान का अच्छी कीमत पर निर्माण	10.00	-	10.00
13	6408-02-190-0311 नाबार्ड सहायता परियोजनाएँ (सामान्य) 8545-नाबार्ड की सहायता से गोदाम का निर्माण	43.90	8.43	35.47
कुल योग (पूँजीगत भाग)		53.90	8.43	45.47

(स्रोत: विनियोग लेखा 2014-15)

वास्तविक बचत इंगित किया कि व्यय प्राक्कलित राशि के अनुसार नहीं किया गया और वहाँ बजट प्राक्कलन और व्यय पर नियंत्रण का अभाव था।

इंगित किए जाने पर, विभाग द्वारा कोई विशेष कारण प्रस्तुत नहीं किया गया (अक्टूबर 2015)।

2.8.3 सतत् बचत

वर्ष 2012-15 के दौरान विनियोग लेखों के लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात लेखाओं के दो शीर्षों में सतत् बचत का पता चला जिसका विस्तृत विवरण तालिका 2.2 में दिया गया है।

तालिका 2.22: सतत् बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाओं का शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15
1.	4408-02-195-0101 राज्य आयोजना स्कीम (सामान्य) 7478 शहरी क्षेत्र में गोदाम-सह-दुकान का निर्माण की कीमत	6.41	25.00	10.00
2.	6408-02-190-0311- नाबार्ड सहायता परियोजना (सामान्य)-8545- नाबार्ड की सहायता से गोदाम का निर्माण	23.75	5.67	35.47

(स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15)

सतत् बचत इंगित करते हैं कि बजट प्राक्कलन की तैयारी की प्रक्रिया अवास्तविक थी और वहाँ नियंत्रक अधिकारियों के द्वारा वित्तीय नियंत्रण की कमी थी।

इंगित किए जाने पर, उप-संचालक ने बताया कि निधियों की निकासी नहीं किए जाने तथा भूमि की अनुपलब्धता के कारण राशि का उपयोग शासन द्वारा नहीं किया गया।

2.8.4 अपरिहार्य अनुपूरक बजट प्रावधान

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (चौथा अध्याय XI) की कंडिका 133 के अनुसार, अनुपूरक प्राक्कलन तब तक विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जब तक कि उसकी आवश्यकता न हो।

योजना 6408-02-190-031 नाबार्ड सहायता परियोजना (सामान्य)-8545-नाबार्ड की सहायता से गोदाम का निर्माण के अंतर्गत, वास्तविक प्रावधान ₹ 18.90 करोड़ का था तथा विभाग ने ₹ 25.00 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया। अंतिम व्यय (₹ 8.43 करोड़ वास्तविक अनुदान) विनियोग से कम था। इस तरह, संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान अनुपयोगी रहा।

इंगित किए जाने पर विभाग (अक्टूबर 2015) द्वारा कोई विशेष कारण नहीं बताया गया।

2.8.5 तदर्थ आधार पर बजट की तैयारी

मध्यप्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 31 के अनुसार, नियम के तहत बजट प्राक्कलन एकमुश्त नहीं होना चाहिए। जाँच-पड़ताल के स्पष्ट हुआ कि चार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ₹ 13.97 करोड़ का प्रावधान था। फिर भी, इन योजनाओं के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया जैसा कि तालिका 2.23 में विस्तृत दिया गया है। इस तरह, संपूर्ण प्रावधान अनावश्यक था जो प्रमाणित करता है कि बजट प्राक्कलन के लिए की गई मांग तदर्थ आधार पर तैयार की गयी थी।

तालिका 2.23: विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदानों का प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	कुल बजट	व्यय	बचत
1.	2408-01-003-0701-6964-लोक वितरण प्रणाली के शक्तिवर्धन की सहायता	0.35	—	0.35
2.	2408-01-003-0701-8919 लोक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	1.62	—	1.62
3.	2408-01-102-0701-3229 भोज्य पदार्थ की उपलब्धि में नागरिक आपूर्ति निगम को अनुदान/ आर्थिक सहायता	2.00	—	2.00
4.	4408-02-195-0101-7478 शहरी क्षेत्र में गोदाम सह दुकान का निर्माण का मूल्य	10.00	—	10.00
सकल योग		13.97	0.00	13.97

(स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15)

इंगित किए जाने पर, उप-संचालक ने बताया कि राशि का उपयोग न करना शासन के द्वारा निधि की निकासी नहीं होने के कारण नहीं की गई।

2.8.6 व्यय का अतिवेग

छत्तीसगढ़ बजट नियमावली की कंडिका 92 के अनुसार, कोई भी अनुदान जिस का लाभकारी रूप से सदुपयोग न किया जा सके, समर्पित कर देना चाहिए। व्यय का अतिवेग, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में प्रयोग करने से बचना चाहिए। व्यय का अतिवेग, खासकर वित्तीय वर्ष के समाप्त महीनों में, से बचना चाहिए। हांलाकि यह देखा गया कि विभागों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। व्यय का वस्तु शीर्ष वार विस्तृत विवरण जहाँ वर्ष 2014-15 के दौरान अंतिम तिमाही के दौरान मार्च माह में व्यय का प्रतिशत प्रत्येक प्रकरण में 50 प्रतिशत और ज्यादा है, का विस्तृत विवरण तालिका 2.24 में दिया गया है—

तालिका 2.24 व्यय का अतिवेग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखाओं का शीर्ष	वर्ष 2014-15 के दौरान कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय		मार्च माह के दौरान व्यय	
			राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1.	2408-01-001-0801-6797-उपभोक्ताओं के जागरूकता के लिए वित्तीय सहायता	0.12	0.12	100.00	0.08	67.00
2.	2408-01-102-0101-5591 अन्नपूर्णा दाल-भात केन्द्र को प्रोत्साहन मदद	0.13	0.13	100.00	0.13	100.00
3.	2408-01-102-6964-लोक वितरण प्रणाली के शक्तिवर्धन को सहायता	0.06	0.06	100.00	0.06	100.00
4.	2408-01-102-7317-नयी गैस कनेक्शन के लिए महिलाओं को सहायता	0.08	0.06	75.00	0.06	75.00
5.	2408-01-102-8674 राज्य सहकारी विपणन संघ के भोज्य उपलब्धि का योगदान	200.00	100.00	50.00	100.00	50.00

(स्रोत: विनियोग लेखे 2014-15)

इंगित किए जाने पर, उप संचालक ने बताया कि व्यय वर्ष के अंतिम माह (मार्च) के दौरान शासन से निधि की निकासी के आदेश प्राप्त होने के कारण हुआ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष के अंत में व्यय का अतिवेग का बजट नियमावली का उल्लंघन है।

2.8.7 बचत को न समर्पित किया जाना

बजट नियमावली की कंडिका 91.3 के निदेशानुसार, सभी प्रत्याशित बचत शासन को अतिशीघ्र समर्पित कर देना चाहिए, यदि वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना पहले से पहचान लिए गए हैं, अन्यथा दूसरे इकाई अथवा इकाईयों को अधिकता जो कि समय पर निश्चित रूप से पहचान लिए गए हैं। भविष्य के संभावित अतिरेक के लिए कोई भी बचत आरक्षित करके नहीं रखना चाहिए। हमने पाया कि अनुदान संख्या- 39 के अंतर्गत संपूर्ण बचत राशि ₹ 711.87 करोड़ को समर्पित नहीं किया गया और उन्हें व्यपगत कर दिया गया, जो कि कुल आवंटन राशि ₹ 2,231.10 करोड़ का 31.91 प्रतिशत था। यह वित्तीय वर्ष के दौरान राशि का अनुपयोगी होने का कारण बना।

इंगित किए जाने पर, विभाग द्वारा कोई भी विशेष कारण नहीं दिया गया (अक्टूबर 2015)।

2.9 निष्कर्ष और अनुशंसाएँ

अनुचित बजट प्राक्कलन के कारण बड़ी बचते

- वर्ष 2014-15 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 60,202.41 करोड़ के विरुद्ध ₹ 12,014.49 करोड़ (20 प्रतिशत) की बड़ी बचत हुई जो अनुचित बजट प्राक्कलन को इंगित करती है। अनेक योजनोओं/ उप-शीर्षों के अंतर्गत बड़ी बचतें राज्य में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। अंतिम पाँच वर्षों तक 10 अनुदानों का समाजिक और आर्थिक सेवाओं पर सतत बचत का भी ध्यान दिया गया।

आकस्मिक निधि से अग्रिम

- छः अवसरों पर राशि ₹ 20.97 करोड़ अग्रिम की निकासी वर्ष 2014-15 के दौरान आकस्मिक निधि से की गई जो कि न तो आकस्मिक था और न ही आगामी अस्तित्व में आने वाली प्रकृति की ही थी।
- आकस्मिक निधि से अग्रिम केवल आकस्मिक तथा भविष्य में उपयोगी होने वाली व्यय के लिए ही दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2014-15 के दौरान प्रावधान से अतिरेक को नियमितीकरण की आवश्यकता

वर्ष 2014-15 के दौरान प्रावधान से अधिक ₹ 833.54 करोड़ का अधिक व्यय किया गया जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमितीकरण करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 2001-2014 के अवधि के दौरान किए गए अतिरेक व्यय को भी नियमितीकरण करने की आवश्यकता है।

वर्तमान वर्ष में अतिरेक व्यय का नियमितीकरण तथा पिछले वर्ष घटित को प्रमुखता देनी चाहिए।

वित्त, आदिम जाति कल्याण तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग में बजटीय नियंत्रण में कमी

वित्त, आदिम जाति कल्याण तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के बजट नियंत्रक अधिकारियों ने बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया जिसके फलस्वरूप विभाग में बजटीय नियंत्रण में कमी हुई।

वित्त, आदिम जाति कल्याण तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।